निर्णय. जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में रखा गया प्रस्ता

आदित्यपुर-गम्हरिया के चार विद्यालयों को मिली मान्यता

शिक्षा से वंचित छात्रों को स्कूलों से जोड़ें : डीसी

संवाददाता, आदित्यपुर/सरायकेला

...ला शिक्षा समिति ने जिले के 15 निजी ...द्यालयों को आरटीइ एक्ट के तहत व ...नि सरकारी विद्यालय को कक्षा एक से ...आठ तक संचालित किये जाने की ...मान्यता प्रदान की है. निजी विद्यालयों में ...म्हरिया के तीन स्कूल विद्या भारती हाई ...कूल बलरामपुर, जेवियर स्कूल व ...म्हरिया इंग्लिश स्कूल तथा आदित्यपुर ...के एक स्कूल गायत्री शिक्षा निकेतन को ...मान्यता मिली. यह निर्णय शुक्रवार को ...माहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त ...इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में ...हुई जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की ...बैठक लिया गया. इसमें श्री अंसारी ने ...सभी 18 विद्यालयों के प्रस्ताव की ...जानकारी ली. जिसमें बताया गया कि ...जिले में 15 निजी विद्यालय को आरटीइ ...एक्ट के तहत (झारखंड शिक्षा ...अधिनियम 2009) मान्यता देने व तीन सरकारी मध्य विद्यालय जहां पूर्व से कक्षा छह से आठ संचालित थे, वहां की आवश्यकता को देखते हुए कक्षा एक से आठ संचालित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत थे. जिस पर समिति द्वारा बारी-बारी से सभी विद्यालयों के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सभी विद्यालयों की योग्यता व पात्रता को देखते हुए प्रस्तावों को पारित करने का निर्णय लिया गया. बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, एडीपीओ प्रकाश कुमार, ट्रेनिंग इंचार्ज सिद्धेश्वर झा, निजी विद्यालय प्रभारी मर्था टोपनो व सांसद-विधायक के प्रतिनिधि समिति सदस्य उपस्थित थे.

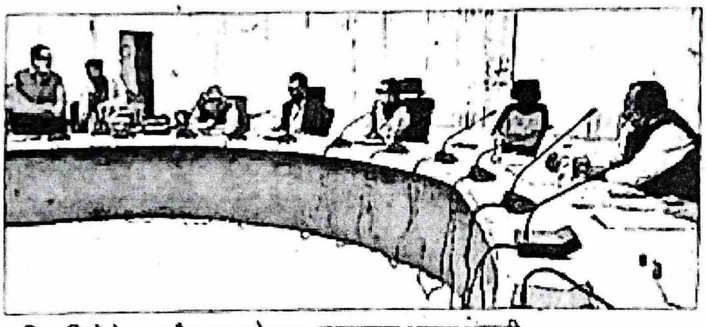

अधिकारियो के साथ बैठक करते उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी.

25 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों का होगा नामांकन : बैठक में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने जिला शिक्षा अधीक्षक महमूद आलम को सभी विद्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन में 25 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों को नामांकन देने व स्कूल की सभी योग्यता को बनाए रखने हेतु नोटिस देने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वंचित छात्रों को विद्यालय से जोड़ना है. उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना विभाग का लक्ष्य हो, जिले में कोई भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, सभी कर्मचारी व पदाधिकारी को सम्बंधित क्षेत्र में आम जनता जनप्रतिनिधि के साथ सम्पर्क में रहकर लोगों को जागरूक करना है.

इन स्कूलों को भी मिली मान्यता

दयावती मोदी पब्लिक स्कूल हुमीद, होली क्रॉस स्कूल बरेड़ा, जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल तामुलिया, नवरंगर सूर्यदेवी सरस्वती विद्या मंदिर चांडिल, एसएनएम स्कूल उर्माल, अहसिन इंटरनेशनल स्कूल चांडिल, ओमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल चांडिल, अशोक इंटरनेशनल स्कूल खरसावां, संत जेवियर स्कूल सीनी, बाल विकास शिक्षा निकेतन सरायकेला, सरस्वती शिशु मंदिर एचएस सरायकेला को एक्ट के तहत संचालित करने की मान्यता मिली तथा कक्षा एक से आठ तक संचालित करने के लिए मध्य विद्यालय चांडिल, मध्य विद्यालय विक्रमादित्य व मध्य विद्यालय बामणी केतुंगा को मान्यत मिली.

Dayawati Modi Public School
Manager

Dayawati Modi Public School
Affiliation No. 3430214
Umesh Nagar, Chandil

PRINCIPAL
Dayawati Modi Public School
Chandil